


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No. 87]

NEW DELHI TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

फा. सं. 16/1/2015-पीआर- अटल पेंशन योजना.—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-1 में अटल पेंशन योजना के संबंध में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 16 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/1/2015-पीआर में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करके आंशिक संशोधन किया जाता है:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3(ii) के पश्चात्पैरा 3(iii) को पैरा 3(iv) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा और पैरा 3(iv) से पहले पैरा 3(iii) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

(iii) **60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/उनके पति को एपीवाई में अंशदान जारी रखने का विकल्प:** यदि अभिदाता की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पूर्व होती है तो उनकी पत्नी/उनके पति को अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प दिया जाएगा, जिसे मूल अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की शेष निहित अवधि के लिए अभिदाता की पत्नी/पति के नाम से अनुरक्षित किया जा सकता है। अभिदाता की पत्नी/पति अपनी मृत्यु तक अभिदाता के समतुल्य पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार

पाद टिप्पणी: अटल पेंशन योजना के संबंध में मूल अधिसूचना 16 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई थी और तत्पश्चात् इसे 19 जनवरी, 2016 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

F. No. 16/1/2015-PR – Atal Pension Yojana.—In partial modification of Ministry of Finance, Department of Financial Services Notification number 16/1/2015-PR dated 16th October 2015 on Atal Pension Yojana, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, the following amendment is hereby made :-

In the said notification, after para 3(ii), the para 3(iii) shall be renumbered as para 3(iv) and before the para (iv) so renumbered, the para 3(iii) shall be inserted as follows :

(iii) **Option to the spouse of the subscriber to continue contribution to APY on death of subscriber before the age of 60 years:** If the subscriber dies before the age of 60 years, his / her spouse would be given an option to continue contributing to APY account of the subscriber, which can be maintained in the spouse's name, for the remaining vesting period, till the original subscriber would have attained the age of 60 years. The spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber until the death of the spouse.

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Advisor

Foot Note : The Original Notification on Atal Pension Yojana was issues on 16th October, 2015 and was subsequently amended by Notification dated 19th January, 2016.